

भारतीय मानक ब्यूरो  
**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति  
**Licence for the use of STANDARD MARK**

लाइसेंस सं. सीएम/एल- 5400099311

Licence No. CM/L – 5400099311

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स नार्थ ईस्ट वेनियर एण्ड प्लाईवुड एलएलपी

प्लॉट न 102, 108, 116

आर के नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया

जीरानीया ब्लॉक ऑल्ड

अगरतला

जिला- वेस्ट त्रिपुरा

त्रिपुरा- 799008

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करती है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबंध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

M/s NORTH EAST VENEERS & PLYWOOD LLP

PLOT NO.- 102, 108, 116

R K NAGAR INDUSTRIAL AREA

JIRANIA. BLOCK- OLD

AGARTALA

Dist- WEST TRIPURA

TRIPURA- 799008


(hereinafter called 'the Licensee') this Licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended.

2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायि हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-I में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I..

अनुसूची  
SCHEDULE  
अनुज्ञप्ति सं सीएम/एल -5400099311  
Licence No.CM/L- 5400099311


नाम नार्थ ईस्ट वेनियर एण्ड प्लाईवुड एलएलपी  
कारखाने का पता प्लॉट नं 102, 108, 116 आर के नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया जीरानीया ब्लॉक ऑल्ड  
विधिमान्यता अगरतला जिला- वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा- 799008  
25-07-2024 से 24-07-2025 तक  
Name NORTH EAST VENEERS & PLYWOOD LLP  
Factory Address PLOT NO.- 102, 108, 116 R K NAGAR INDUSTRIAL AREA JIRANIA. BLOCK-  
OLD AGARTALA Dist- WEST TRIPURA TRIPURA- 799008  
Validity from 25-07-2024 to 24-07-2025

मानक चिन्ह Standard Mark	भारतीय मानक Indian Standard	लाइसेंस का विषय क्षेत्र Scope of Licence	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 4990 	आई एस 4990: 2011 IS 4990: 2011  कंक्रीट शटरिंग कार्य के लिए प्लाईवुड  PLYWOOD FOR CONCRETE SHUTTERING WORKS	Type 3 (CSFF), upto and including 7 Ply and 12 mm thickness	रु. 0.25 प्रति यूनिट के लिए सभी यूनिटों के लिए न्यूनतम मार्किंग फीस रु। 90000/= एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान  Rs. 0.25 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 90000/= during an operative period of one year.  इकाई- 1 वर्ग. मीटर Unit- 1 SQ. M  एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रणीत होगी ।  Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज वर्ष दो हजार चौबीस अगस्त माह की तेईस तारीख को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया ।

Signed, Sealed and Dated this Twenty three of August of Two Thousand Twenty Four

कृते भारतीय मानक ब्यूरो  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

  
अमित रॉय

वैज्ञानिक- जी / डीडीजी एवं प्रमुख